

कार्यालय: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त
खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: 253 /एस.सी.डी.आर.सी./अधि.101/16

दिनांक 18 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी. 480/2021/84-2-2021-सी.एन. 1369528, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन 2019) की धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियम, 2020 के नियम-5 के उपनियम-(5) के प्रावधानानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में राज्य आयोग के पत्र संख्या 5168/एस.सी.डी.आर.सी. /अधि.101 /16, दिनांक 08 मार्च, 2022 द्वारा सभी अर्ह आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदित सहमति पत्र इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया सहमति की दशा में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहें।

आवेदकों से अपेक्षा की गई कि वे सहमति की स्थिति में निम्न शर्तों पर सहमति व्यक्त करना चाहें :-

1. मैं राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ में मध्यस्थ के कार्य हेतु सौंपी गयी पत्रावली/परिवाद/इजराय वाद/प्रकीर्ण वाद/अपील एवं अन्य वादों में राज्य उपभोक्ता आयोग की पीठ द्वारा (उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियम, 2020 के नियम-8 के उपनियम-(1 से 7) में वर्णित प्रावधानानुसार वाद के मूल्यांकन, परिस्थिति एवं अन्य पर विचार करने के उपरान्त निश्चित फीस जो कि समझौता सफल होने पर पूर्ण रूप से अथवा समझौता न होने की स्थिति में निश्चित फीस की आधी धनराशि प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा/करूंगी ।
2. मुझे राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मध्यस्थ के कार्य हेतु निर्धारित दिन, समय एवं स्थान में उपस्थित होने में कभी आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिए मैं राज्य उपभोक्ता आयोग से कभी टी.ए. (यात्रा भत्ता) एवं डी.ए. (दैनिक भत्ता) की मांग नहीं करूंगा/करूंगी। साथ ही मुझे भली-भांति ज्ञात है कि उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित फीस के अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ से मुझे कोई वेतन अथवा मानदेय प्राप्त नहीं होना है जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ।



3. मैं उपरोक्त सहमति पत्र के प्रस्तर-1 में वर्णित फीस से ही लिपिकीय एवं स्टेशनरी खर्चा देने हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।
4. मैंने इस सहमति पत्र में वर्णित उपरोक्त शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

मा0 चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियम, 2020 के प्रावधानों तथा उक्त आशय के सहमति पत्र के अधीन निम्नलिखित को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल किये जाने की स्वीकृति 05 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता
1.	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	स्व0 (श्री) शिवेश चन्द्र पाण्डेय	एच. 505, गंगा अपार्टमेण्ट, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 लखनऊ।
2.	श्रीमती कुलदीप कौर	स्व0 (श्री) गुरु चरन सिंह	61 ए पुराना किला, नियर बडी पार्क, लखनऊ।
3.	श्री संजीव अग्रवाल	श्री एस.पी अग्रवाल	3/131, विश्वास खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ।
4.	श्री विवेक वाष्ण्य	श्री बी.डी. गुप्ता	3/229, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
5.	श्री श्याम जी श्रीवास्तव	स्व0 (श्री) आर. एन. श्रीवास्तव	128/वाई/460 किदवई नगर, कानपुर
6.	श्री गणेश प्रसाद	स्व0 (श्री) राम आसरे	219/1 ए परदेवनपुर, लालबंगला, कानपुर।
7.	श्रीमती अंजू अवस्थी	स्व0 (श्री) बी. के. मिश्रा	डी 3/119, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8.	श्रीमती कनक त्रिपाठी	स्व0 (श्री) राम प्रकाश पाण्डेय	ए-3/277 विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
9.	श्रीमती अर्चना दुबे	स्व0 (श्री) रामनरेश	11/437, इन्दिरा नगर, लखनऊ
10.	श्री अनीष श्रीवास्तव 'लाल'	स्व0 (श्री) लाल बिहारी लाल श्रीवास्तव	एस.-1, ब्लाक-2, गोपाल तीरथ प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11.	श्रीमती सुमन यादव	श्री कुँवर सिंह यादव	ई/170, से0-एम, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

(५२)

12.	सुश्री रेहाना खान	स्व0 (श्री) मजहर अली खान	2/2 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
13.	श्री चन्द्रशेखर ओझा	स्व0 (श्री) रमापति ओझा	656ए/133, आलोक नगर, कल्यानपुर (कंचना बिहारी मार्ग नियर चन्द्र कुंज लॉज), लखनऊ।
14.	श्री सहर्ष	श्री अरविन्द कुमार	बी-5/155 विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
15.	श्री जगन्नाथ मिश्र	श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र	ए 146 गार्डन सिटी, डी.एल.एफ. पुरेसनी, लखनऊ।
16.	श्री आनन्द नारायण सिंह	स्व0 (श्री) श्री कृष्ण नाथ सिंह	538 के/449, तुलसीपुरम, त्रिवेणीनगर-प्रथम, लखनऊ।
17.	श्री योगेन्द्र सिंह	स्व0 (श्री) शिवबहादुर सिंह	744- महानगर, लखनऊ।
18.	श्री पुरुषोत्तम सिंह	स्व0 (श्री) रामपाल सिंह	1070 से.-एम. आशियाना, एल.डी.ए., कानपुर रोड, लखनऊ।
19.	श्रीमती अंकिता	स्व0 (श्री) जगदीश प्रसाद	म.न. के.एन.011 शान्ति नगर, सरोजनीनगर-1, शान्ति नगर थाना, सरोजनीनगर, लखनऊ।
20.	श्री गोवर्धन यादव	स्व0 (श्री) सिंहासन यादव	म. न. 327 सेक्टर-9 जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ।
21.	श्री दिनेश कुमार तिवारी	स्व0 (श्री) पारस नाथ तिवारी	1/310 से.-1 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ।
22.	श्रीमती संध्या देवी	स्व0 (श्री) जगदीश प्रसाद	563/60 चित्रगुप्त नगर, आलमबाग, लखनऊ।
23.	श्री प्रशान्त कुमार बाजपेयी	श्री अवधेश कुमार बाजपेयी	278/5 नानक नगर कालोनी, ठाकुरगंज, लखनऊ।
24.	श्रीमती साधना सिंघल	स्व0 (श्री) श्री बाल कृष्ण अग्रवाल	जे. 87 आशियाना, कानपुर रोड, लखनऊ।
25.	श्री अनिल कुमार मिश्र	श्री राधेश्याम मिश्र	545 के.ए./एन.पी. /197, न्यू पारा कालोनी, राजाजी पुरम, लखनऊ।
26.	श्रीमती चन्द्र कला पाण्डेय	श्री राम प्यारे पाण्डेय	499/86 जी.एन. रोड, डालीगंज, लखनऊ।

(9)

27.	श्री राहुल मिश्रा	श्री राजेश बाबू मिश्रा	ग्रा.पो. गुडम्बा, तहसील, बी.के.टी., लखनऊ।
-----	-------------------	------------------------	---

उक्त चयनित मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे नोटरी द्वारा सत्यापित धनराशि रू0 10/- के स्टाम्प पर संलग्न शपथ पत्र राज्य आयोग में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनके चयन को नियमानुसार निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार III)

निबन्धक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग।
2. मा0 सदस्यगण, राज्य आयोग।
3. विशेष सचिव, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2, 30 प्र0 शासन।
4. उपरोक्त चयनित मध्यस्थ।
5. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन, राज्य आयोग।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग।
8. प्रशासनिक अधिकारी, अभिलेखागार, राज्य आयोग।
9. प्रभारी, नजारत अनुभाग, राज्य आयोग।
10. वरिष्ठ सहायक, मा0 न्याय कक्ष संख्या-1, 2 तथा 3
11. गार्ड फाईल, राज्य आयोग।

प्रदीप कुमार

(प्रदीप कुमार III)

निबन्धक